महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – चौतीसवां संस्करण | जनवरी, 2018

अनुक्रमणिका

1. माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंच परमेश्वर पोर्टल तथा एप का शुभारंभ
2. अपनी बात ....
3. कपिलधारा कूप ने जगाई आशा
4. वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 07.12.2017 में दिये गये निर्देश
5. वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 14.12.2017 में दिये गये निर्देश
6. शौर्य दल के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन

हमारा संस्थान

माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंच परमेश्वर पोर्टल तथा पंच परमेश्वर एप का शुभारंभ

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मंत्रालय स्थित कार्यालय में आज दिनांक 27 नवम्बर 2017 को पंच परमेश्वर पोर्टल तथा पंच परमेश्वर मोबाईल एप्प का शुभारंभ माननीय मंत्री, श्री गोपाल भार्गव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय राज्यमंत्री, श्री विश्वास सारंग जी मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ, किया गया।

इसके प्रारंभ होने से प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली सुगम और विश्वसनीय बनेगी एवं साथ ही ग्राम पंचायतों के समस्त वित्तीय अभिलेख ऑन लाइन उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश की ग्राम पंचायतें पूर्णतः पेपर लेस एवं कैशलेस पंचायतों के रूप में कार्य करेंगी। इस डिजिटल व्यवस्था को अपनाने वाला मध्यप्रदेश भारत देश का प्रथम राज्य है।

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का चौतीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो इस साल वर्ष 2018 का मासिक संस्करण के रूप में प्रथम संस्करण है।

माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पंच परमेश्वर पोर्टल तथा पंच परमेश्वर मोबाईल एप्प का शुभारंभ माननीय मंत्री, श्री गोपाल भार्गव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय राज्यमंत्री, श्री विश्वास सारंग जी मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ, किया गया।

इसके अतिरिक्त ''कपिल धारा कूप ने जगाई आशा'' विषय पर आलेख प्रस्तुत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 एवं 14 दिसम्बर, 2017 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है। इसके अतिरिक्त संस्थान में **''शौर्य दल के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण''** का आयोजन किया गया, जिसे समाचार आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैं।

हमें पूर्ण भरोसा है कि आपको 'पहल' का यह संस्करण अत्यंत रूचिकर लगेगा तथा कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

कपिलधारा कूप ने जगाई आशा

सागर जिले की मालथौन जनपद पंचायत अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है – बेसरा जो कुछ समय पहले तक पानी की गंभीर समस्या से जूझ रही थी। गांव के लोग पानी की बूंद–बूंद को मोहताज थे। लोगों को नहाने–धोने और पीने का पानी ही नहीं मिलता था। सिंचाई करने की तो वे सोच ही नहीं सकते थे। पानी नहीं होने से गांव के किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति थी जिसे लेकर गांव के लोग बहुत चिंतित थे। लिहाजा उन्होनें यह तय किया कि ग्राम सभा की अगली बैठक में वे जल समस्या पर चर्चा करेंगे।

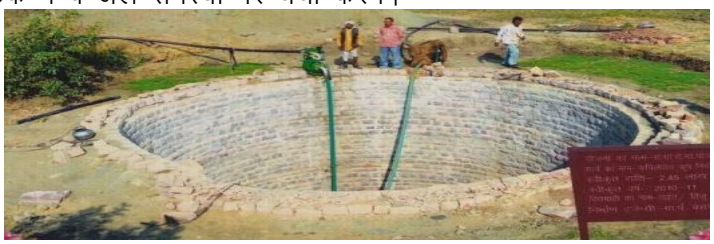

ग्रामसभा जब बैठी तो गांव के मुखिया ने पानी का सवाल उठाया। तब पंचायत सचिव ने उन्हें कपिलधारा कूप की योजना के बारे में विस्तार से बताया। सचिव ने बताया कि कपिलधारा स्कीम मनरेगा की उपयोजना है। जिसके तहत् गरीबी रेखा में आने वाले किसानों के खेत में कुंआ खोदने के लिए सरकार शत प्रतिशत अनुदान देती है। यदि किसान इस योजना का लाभ ले तो वे न सिर्फ नहाने–धोने और पीने के पानी की समस्या से मुक्त होंगे अपितु सिंचाई करके अच्छी फसलें भी उगा सकेंगे।

सचिव की यह बात सुनकर बेसरा ग्राम पंचायत के कृषक उद्धेत पिता तिजु बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बात समझ में आ गई। उद्धेत के पास कुल 3.5 एकड़ भूमि है। परन्तु सिंचाई सुविधा नहीं होने से उसकी खेती घाटे का सौदा बनी हुई थी यही वजह है कि उसने कपिलधारा कूप के लिए आवेदन करने का निश्चय किया। ग्रामसभा ने उसके आवेदन का अनुमोदन किया और उसका कपिलधारा कुंआ 2010–11 में स्वीकृत हो गया।

उद्धेत ने अपनी देख–रेख में बड़ी लगन एवं मेहनत से कूप निर्माण का काम करवाया और देखते ही देखते 19 जुलाई 2015 को कुंआ बनकर तैयार हो गया। कुंए में पर्याप्त जल भण्डार मिला। उद्धेत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा अब तो उद्धेत के खेत में निर्मित कुंए से आस–पड़ोस के लोग भी निस्तार करते हैं। कपिलधारा कूप बनने से उद्धेत की पूरी भूमि सिंचित हो गई और कभी घाटे का धंधा बन चुकी उसकी खेती अब फायदे का जरिया बन गई है। कपिलधारा कूप से उद्धेत अपने खेतों की सिंचाई तो करता ही है आस–पास के किसानों को पानी देकर अतिरिक्त कमाई भी कर लेता है।

उद्धेत के खेत में बने कपिलधारा कूप से लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। उद्धेत की सफलता ने गांव के दूसरे किसानों को सोते से जैसे जगा दिया है। अब तो ग्राम पंचायत कार्यालय में किसानों की लाईन लग रही है। किसानों का कहना है कि उद्धेत की तरह ही उन्हें भी अपने खेत में कपिलधारा कूप खुदवाना है। दूसरे गांव के किसान भी उद्धेत का कूप देखने आते हैं और मन ही मन यह संकल्प करके लौटते है कि वे भी अपने खेत में ऐसा ही कूप बनवायेंगे।

उद्धेत तो अब मनरेगा की इस उपयोजना का ब्रान्ड एम्बेसडर बन चुकाहै।

कु. लवली मिश्रा
संकाय सदस्य

अपर मुख्य सचिव महोदय/विकास आयुक्त द्वारा वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 07.12.2017 में दिये गये निर्देश

- मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नियत वीडियो कॉन्फ्रेंश में अनुपस्थित रहने की पूर्ण सूचना कारण सहित अपर मुख्य सचिव को एसएमएस के माध्यम से अनिवार्यता दें।
- जिला पंचायत सीधी एवं दमोह के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंश में पूर्ण तैयारी से नहीं आये थे। भविष्य में ऐंसी पुनरावृत्ति न हो।
- जिला पंचायत टीकमगढ तथा अलीराजपुर के मुख्यकार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंश में अनुपस्थित थे। जिलों के मुख्यकार्यपालन अधिकारी भविष्य में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित न रहें।
- जिला स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सभी अनुभाग को CEO/Leadership में काम करना होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना :

- समस्त जिलों की प्रगति लक्ष्य के विरूध्द कम है। सभी जिले लगातार अनुश्रवण, Micro level plan प्लान कर लक्ष्य की पूर्ति करें एवं अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की रफ्तार को बढाएं।
- द्वितीय किश्त तथा प्रथम किश्त के अंतर को जिले हितग्राहीवार समीक्षा कर आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस तक इस अंतर को शून्य करे।
- जिन जिलों का अच्छा performance है, अन्य जिले उनके द्वारा लिए गए steps का अनुसरण करें।
- आवास पूर्णता के संबंध में जिले स्तर की कठिनाई/मटेरियल की अनुपलब्धता आदि के कमी के कारणों को भोपाल मुख्यालय के संज्ञान में तत्काल लाया करें।
- खराब प्रदर्शन वाले जिले अलीराजपुर, सिंगरौली, झाबुआ, सीधी, डिडौरी, अशोकनगर, रीवा, शहडोल, धार, मण्डला, सिवनी, उमरिया, श्योपुर, रायसेन, एवं शिवपुरी।

राज मिस्त्री प्रोग्रम

- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राज मिस्त्री प्रशिक्षण की विस्तृत समीक्षा जिला स्तर पर करें। डेमोस्टेटर्स एवं राज मिस्त्री प्रशिक्षणार्थियों को समय पर भुगतान हो।
- ग्रमीण यांत्रिकी सेवा प्रशिक्षण की गुणवत्ता, सीएसडीसीआई परीक्षा की तैयारी एवं आवास निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।

स्वच्छ भारत मिशन

- शौचालय विहीन पात्र/अपात्र हितग्रहियों के शौचालय निर्माण की गति के अनुरूप जिले को खुले में शौचमुक्त किये जाने कि तिथि का पुनः निर्धारण करें।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों अंतर्गत क्लस्टर निर्धारण कर ईधन चलित वाहन से कचरा संग्रहण की प्रणाली के अनुभवों का अध्यन कर नीति निर्धारण करें।
- डाटा क्लीनिग के कार्य को प्राथमिकता के तौर पर कराया जाए।
- खराब प्रदर्शन करने वाले जिले उमरिया, बडवानी, छतरपुर, भिण्ड, सीधी, अलीराजपुर, अनूपपुर, दतिया, कटनी, बालाघाट, मंदसौर, धार, रीवा, शिवपुरी, शहडोल, झाबुआ, पन्ना एवं विदिशा ।

महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

- PO Login पर अत्याधिक संख्या में Adhar verification हेतु लंबित है, उदाहरणार्थ छतरपुर–9066, बालाघाट–7691, सीधी–4123, विदिशा– 3960, सतना– 3913, इसकी नियमित समीक्षा कर निराकरण किया जाए।
- आधार आधरित भुगतान प्रणाली हेतु यह आवश्यक है कि जिन नरेगा मजदूरों के बैंक खाते संयुक्त हैं, उनको व्यक्तिगत खातों में परिवर्तित करें। R1.2.2 की नियमित समीक्षा करें।
- जिलों में आधार की सत्यापित प्रति बैंक में जमा नहीं किये जाने से मेपिग की कार्यवाही नही हो पा रही है। ग्राम रोजगार सहायक सत्यापित प्रति जमा करें। जिन बैंक/ शाखाओं द्वारा सहयोग नही किया जा रहा है। उन बैंक/शाखाओं के नाम मुख्यालय को समस्या के विवरण एवं बैंक नाम, ब्रांच नाम के सांथ उपलब्ध करावें।
- 2018–19 लेबर बजट प्लानिंग के लिए लेबर बजट एवं वर्क प्रोजेक्शन की एंट्री जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक 12.12. 2017 के पूर्व मुख्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 सुनिश्चित करना अनिवार्य है।15 जिले हरदा, खण्डवा, रतलाम, मण्डला, राजगढ, भोपाल, खरगौन, अलीराजपुर, रीवा, बुरहानपुर, विदिशा, नरसिंहपुर, सीहोर, शिवपुरी, धार, में लेबर बजट का अनुपात प्रतिकूल है। नियमित समीक्षा कर केवल ऐसे कार्य लिए जाए जिसमें मजदूरी का अनुपात अधिक है। एक माह के अंदर इस अनुपात को 60:40 किया जावे।
- प्रधानमंत्री आवास साफ्ट रिपोर्ट एवं नरेगा साफ्ट R6.9 की रिपोर्ट में अप्रारंभ कार्यों का जो अत्याधिक अंतर प्रदर्शित हो रहा है एवं पूर्ण आवासों के अंतर को समीक्षा कर शून्य किया जावे।

पंचायतराज

- जिला पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिवों के मोबाइल नं. 03 दिवस में अप्रूव करें।
- नवीन भुगतान व्यवस्था में लगभग 5000 ग्राम पंचायतों के द्वारा ई पी ओ नही बनाये गये है। आगामी एक सप्ताह में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा

- न्यूनतम एक ई पी ओ जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- जनपद एवं जिला पंचायतों के एकल खाते में उपलब्ध राशि किन किन मदों की है, इसका विवरण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करें। (कार्यवाही–संचालक पंचायतराज)
- जिला एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के मानदेय के सीधे भुगतान हेतु बैंक खाते एवं मोबाईल नंबर का विवरण पोर्टल के माध्यम से सत्यापित कराऍं। (कार्यवाही–संचालक पंचायतराज)

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

- कुछ शालाओं में 65 प्रतिशत उपस्थिति के मान से जारी की जा रही राशि एवं खाघान्न कम पड रहा है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा पुष्टि करने पर 65 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति मान्य की जावेगी। तथापि शिक्षा विभाग द्वारा विकसित एम–शिक्षा मित्र मोबाईल एप के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति प्रतिदिन पोर्टल पर अपडेट होगी। छात्रों की मोबाईल एप से प्राप्त उपस्थिति के आधार पर आगामी माह का राशन जारी होगा
- एमडीएम पोर्टल पर पंजीकृत मदरसा, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं से खाना पकाने वाली ऐजेंसी, रसोइये तथा उचित मूल्य की दुकानों की मेपिंग पूर्ण की जावे।
- खाना पकाने की राशि तथा रसोइओं के मानदेय की पूर्व माहों की असफल हुए Transactions देखे और खातों का विवरण पोर्टल पर सुधारें।
- वर्तमान में टी.एच.आर. दरों पर दुग्ध पावडर परिवहन में आ रही कठिनाइयों के कारण दुग्ध वितरण अनियमित होने की सूचना राज्य स्तर पर प्राप्त हुई है। दुग्ध वितरण का कार्य जिला पंचायत सीईओ पूर्व व्यवस्था अनुसार मितव्ययता के सांथ सुनिश्चित करें ताकि दुग्ध पावडर का वितरण नियमित हो सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा उठाये गये मुद्दे–

- प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हितग्राही की मृत्यु होने की स्थिति में उत्तराधिकारी एसईसीसी 2011 की सूची में नही होने से राशि अंतरित नही होती इससे आवास निर्माण प्रभावित हो रहे हैं। भारत सरकार में लॉगिन पर एक ऑप्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली द्वारा एमडीएम पोर्टल पर रसोईये तथा खाना पकाने की ऐजेंसी में परिवर्तन न हो पाने वावत अवगत कराया।
- एनआईसी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रतिमाह ईपीओ का प्रारूप पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है ताकी जिले रसोईये अथवा ऐजेंसी के वितरण में परिवर्तन कर सकते हैं। CEO Check करें।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा माह जुलाई 2017 तक लंबित भुगतान बावत् मार्गदर्शन चाहा गया है।

  यह स्पष्ट किया गया कि माह जुलाई 2017 तक के समस्त लंबित भुगतान जिला स्तर से ही किये जाने है।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया, द्वारा अनुरोध किया गया की ऐसे हितग्राही जो स्वयं शौचालय बनाने हेतु सक्षम/तैयार नही है उनके शौचालय को अन्य निर्माण एजेन्सी से निर्मित कराने की अनुमति दी जावे ।

  मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसे समस्त हितग्राहियों की सूची उनके आई.डी सहित राज्य कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करें ताकी निर्माण के लिए ऐजेंसी निर्धारण तथा भुगतान के निर्देश दिये जावें।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा, द्वारा अपात्र हितग्राहियों के शौचालय निर्माण मनरेगा से कराये जाने की अनुमति चाही गई।

  मनरेगा आयुक्त परीक्षण कर नस्ती प्रस्तुत करें।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास द्वारा ऐसे ग्राम जिनमें शून्य हितग्राही पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं उन ग्रामों के हितग्राहियों के नाम स्वच्छ भारत मिशन में जोडे जाने का अनुरोध किया गया

  राज्य मुख्यालय द्वारा जिले से प्राप्त सूची को आगामी VC के पूर्व स्वच्छ एमपी. पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जायेगा
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाडा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में चलाए गए पर्यावरण रथ के भुगतान की अनुमति चाही गई।

  यह रथ किसके निर्देश से चलें तथा कितना भुगतान बांकी है की जानकारी सभी जिला पंचायत को भेजें
- नवीन भुगतान व्यवस्था में पेमेंट होने के बाद भी पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस परिवर्तित नही होता है।

  भुगतान पश्चात तत्काल पेमेंट स्टेटस में भुगतान की स्थिति प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था एन आई सी द्वारा की जावे।
- जिला पंचायत स्तर पर ई पी ओ की मॉनीटरिंग करने का प्रावधान किया जाए

  जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर से मॉनीटरिंग हेतु ई पी ओ कि रिपोर्ट के लिए डेशबोर्ड तैयार करने हेतु एन आई सी को निर्देशित किया गया।
- पंच परमेश्वर योजना में अनाबद्व राशि की सीमा तथा जिले जाने वाले कार्यो के स्पष्ट निर्देश नहीं हैं जबकि ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रकृति के कार्य किये जा रहे हैं।

  संचालक, पंचायतराज संचालनालय को समीक्षा कर नस्ती प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

अपर मुख्य सचिव महोदय/विकास आयुक्त द्वारा वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 14.12.2017 में दिये गये निर्देश

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत विगत 05 पाक्षित आवास पूर्णता के औसत की समीक्षा में मात्र शहडोल, भोपाल एवं बैतूल जिलों द्वारा औसत से अधिक आवास निर्माण किये गए है।

1.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जनपदवार समीक्षा कर अपेक्षित प्रगति लाये।

1.3 श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर एवं गुना में निवासरत सहरिया जनजाति के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु शीघ्र ही अतिरिक्त लक्ष्य प्रदाय किया जायेगा।

2. पुरानी आवास योजनाएं

2.1 आवास निर्माण की प्रगति विगत तीन माहो की तुलना में काफी कम परिलक्षित हुई है। पुरानी आवास योजनाओं के 31 मार्च 2018 के पूर्व आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाये। उसके पश्चात् अघूरे आवासों को राशि जारी किया जाना कठिन होगा।

2.2 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकरणवार समीक्षा कर समस्त अप्रारंभ आवासों, जिन्हे पूर्ण किया जाना अब संभव नही है, की सूची मुख्यालय प्रेषित करें ताकि यथोचित निर्णय लिया जा सके।

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

3.1 मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त आवास 31 मार्च 2018 के पूर्व करें। तदानुसार स्वनिर्धारित मासिक लक्ष्य निर्धारित करें।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा उठाये गए मुद्दे

4.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर द्वारा आवास मिशन के अन्तर्गत किश्त भुगतान हेतु जियो टेगिंग की व्यवस्था करने का आग्रह किया। यह स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अन्तर्गत पहले से ही जियो टेगिंग की व्यवस्था है, उपयोग करना सुनिश्चित करें।

4.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायसेन द्वारा अवगत कराया गया है कि स्टेट बैक ऑफ इंडिया एवं बैक ऑफ बरौदा द्वारा योजना समाप्त हो जाने के कारण हितग्राहियों को द्वितीय किश्त का भुगतान नही किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाकर जिला स्तरीय बैठक में बैंकों को हिदायत दी जाये कि स्वीकृत प्रकरणों को द्वितीय किश्त का भुगतान यथा समय करना सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से भी संबंधित बैंको को निर्देश दिये जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

4.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरदा द्वारा अवगत गया कि आवास मिशन के अन्तर्गत आवास की मांग के प्रकरण सीएम हेल्पलाईन में लंबित है। इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश शीघ्र ही जारी किये जा रहे है।

5. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

5.1 एमडीएम पोर्टल में भिण्ड, बडवानी, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, मंदसौर, रीवा, सतना आदि जिलों में मदरसों की मैपिंग तथा मुरैना, इन्दौर, जबलपुर, सागर, सागर, उज्जैन एवं रतलाम में शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं की मैपिंग विशेष रुप से कम है। आगामी वीसी के पूर्व मैपिंग पूर्ण कर ली जाए।

5.2 माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक माहवार Failled Transactions में विशेषकर भिण्ड, मण्डला, सतना, एवं सीधी जिलों में अभी भी अपेक्षित सुधार नहीं किया गया है। आगामी वीसी के पूर्व समस्त खातों को अद्यतन कर लिया जाए।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा उठाये गए मुद्दे

6.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि एमडीएम पोर्टल पर दर्ज मदरसे एवं अनुदान प्राप्त शालाएं जिनमें मध्यान्ह भोजन वितरण नहीं हो रहा है, हटाई जाना है।

सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी अगामी वीसी के पूर्व एमडीएम पोर्टल से हटाई जाने वाली शालाएं की सूची एमडीएम परिषद को प्रेषित करे ताकि पोर्टल से इन शलाओं को हटाया जा सके।

6.2 अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना द्वारा अवगत कराया गया कि सतना शहरीय क्षेत्र में केन्द्रीयकृत किचनशेड का संचालन कर रही एजेंसी को खाद्यान्न आवंटन नागरिक आपूर्ति निगम के पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस संबंध में नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल एवं टास्क मैनेजर सतना द्वारा अवगत कराया गया है कि नागरिक आपूर्ति निगम के पोर्टल पर खाद्यान्न प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस समस्या का निदान किया जा रहा है।

7. मनरेगा–जियो टैगिंग की प्रगति

7.1 Phase-1 जियो टैगिंग की समीक्षा में अलीराजपुर, मण्डला, उमरिया, खंडवा एवं सिंगरौली की प्रगति अत्यन्त कम है (50 प्रतिशत से कम) शेष सभी जियों में भी 78 प्रतिशत तक ही जियो टैगिंग की गई है। अगस्त–सितम्बर 2017 में हुई संभागीय बैठकों में यह निर्देश

दिये गये थे कि सभी कार्यो की जियो टैगिंग एक माह के अंदर की जाना है। जो कार्य जियो टैगिंग हेतु उपलब्ध नहीं है, उनकी वर्षवार सूची बनाकर एमआईएस शाखा को ईमेल– rddmp_mis@yahoo.com पर भेजने के निर्देश दिये गये थे। सूची तीन दिवस के अन्दर परिषद को भेजे। जियों टैगिंग में रिजेक्शन की जानकारी जिलों से प्राप्त हो रही है, इस संबंध में यह ध्यान दें कि जियो टैगिंग के दौरान एक्यूरेसी 10 मीटर तक सीमित रहे। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत स्वयं समीक्षा कर आयुक्त मनरेगा को Detailed report भेजे।

7.2 वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण कार्यो की जियो टैगिंग 30 दिवस के अन्दर करना अनिवार्य है। वर्तमान में यह 36 प्रतिशत है। प्रदेश में मंडला, टीकमगढ़ उमारिया, सतना, बैतूल की प्रगति 20 प्रतिशत तक है। सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि सीसी जारी करने के साथ ही जियो टैग फोटो भी अपलोड हो। किसी भी स्थिति में सीसी जारी करने एवं जियो टैगिंग में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 1 नबंबर 2017 से जियोमनरेगा फेज–2 प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 40114 कार्य जो अनुमोदित है, उनमें केवल स्टेज–1 के 61 प्रतिशत कार्यो की ही जियो टैगिंग हुई है। कटनी, सीहोर, सागर, टीकमगढ़, बडवानी जियों में यह गैप अत्याधिक है, इसकी समीक्षा करें।

7.3 मिशन अन्त्योदय की पंचायतों को नरेगासाफ्ट में चिन्हांकित करने हेतु दि. 15.12.2017 तक समयसीमा दी गई है उक्त समयावधि में एनआरएलएम की सूची से ग्राम पंचायत के नाम का मिलान करते हुए नरेगासाफ्ट में शत–प्रतिशत पंचायतें अंकित करना सुनिश्चित करें।

7.4 योजनान्तर्गत कार्य कर रहे समस्त अमले का पंजीयन एवं सत्यापन नरेगासाफ्ट में किया जाना है। कई जिलों द्वारा उक्त के संबंध आज दिनांक तक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है कई जिलों के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक एवं उपयांत्रियों के सत्यापन का कार्य अभी प्रारंभ नही किया गया है इसको आगामी सप्ताह में किया जाए। उक्तानुसार पंजीयन एवं सत्यापन की प्रकिया 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

7.5 जिलों द्वारा इनकम टैक्स, जीआईएस एवं अन्य वैध कटोत्रे के संबंध में विभाग के वेतन साफ्टवेयर में प्रावधानित करने हेतु अनुरोध किया गया। आयुक्त नरेगा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के विषय में परीक्षण की कार्यवाही परिषद पर प्रचलित है एवं आश्वस्त किया गया कि आगामी एक सप्ताह में कटौत्रे संबंधी प्रावधान वेतन प्रबंध साफट्वेयर में कर दिया जावेगा।

7.6 कई जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि केटल शेड के भुगतान के संबंध में शिकायतें हैं। एमआईएस में ऑनगोईंग एवं पूर्ण दर्ज केटलशेड का कार्य पूर्णता एवं भुगतान शेष है। इस संबंध में आयुक्त, मनरेगा द्वारा मानक डिजाईन बनाकर आगामी सात दिवस में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत शौचालय बनाने के संबंध विस्तृत दिशा–निर्देश आयुक्त मनरेगा द्वारा जारी किये जायेंगे। तब तक नरेगा से नये शौचालय निर्माण के कार्य न लिये जायें।

7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास

अगस्त–नवम्बर 2017 की अवधि के वित्तीय लक्ष्य/व्यय सीमा के विरूद्धद्ध बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, शिवपुरी, सीहोर, आगर–मालवा, सतना, देवास, रायसेन, छिन्दवाड, सिवनी, शहडोल एवं सिगरौली की प्रगति 50 प्रतिशत से कम है, जिसका प्रमुख कारण स्वीकृतियां जारी नही होना, विकास खण्ड समन्वयक व विकास खण्ड अभियंता द्वारा कार्य नही करना एवं जनपद स्तर पर भुगतान लंबित होना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन कारणें का निराकरण कर निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 28 दिसम्बर 2017 तक अर्जित करें।

8.1 उक्त जिलों के अतिरिक्त शेष जिले भी वाटरशेड विकास कार्यों के कियान्वयन हेतु अगस्त– नवम्वर 2017 तक की अवधि के निर्धारित वित्तीय लक्ष्य/व्यय सीमा के अनुरूप 28 दिसम्बर 2017 तक अर्जित करें।

8.2 दिसम्बर 2017 के अन्त तक इस वर्ष की द्वितीय किश्त की राशी उपलब्ध हो जायेगी अतः सभी जिले जनवरी– मार्च, 2018 की अवधि में कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2010–11 की परियोजनाओं में रू. 50.00 लाख तथा अन्य वर्षों की परियोजनाओं में रू. 25 लाख के वाटरशेड विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी करें। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दें, जिससे सिंचाई सामर्थ्य में वृध्दि होती है।

8.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जबलपुर ने अवगत कराया कि परियोजना क्र. 12 में टीम उपलब्ध नही है। मुख्यालय स्तर से टीम उपलब्ध करायी जायेगी तब तक समीपस्थ परियोजना की टीम/स्थानीय व्यवस्था से

परियोजना के कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।

9. पंचायत राज

9.1 ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि की समीक्षा की जाकर सभी जिलों को समय सीमा में राशि का समुचित उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये।

9.2 जिला एवं जनपद पंचायतों के एकल खाते में किस मद कि कितनी राशि उपलब्ध है, उसकी प्रविष्टी पोर्टल पर एक निश्चित समयावधि में कराये जाने के लिए पृथक से वीडियो कान्फेंस आयोजित की जाये। जिन जिलों ने डी.आर.डी.ए. प्रशासन के प्रस्ताव संचालनालय को नही भेजे हैं उस पर भी चर्चा की जाये।

9.3 पंच–परमेश्वर पोर्टल से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए हेल्प डेस्क/कॉल सेंटर शीघ्र प्रारंभ किया जाये। सांथ ही पोर्टल पर भी ऑनलाईन शिकायत प्रस्तुत करने एवं उसके निराकरण का प्रावधान किया जाये।

9.4 ग्राम पंचायतवार ई.पी.ओ. का स्टेटस पोर्टल पर देखने कि व्यवस्था आज से शुरू कि जाने के लिए एन.आई.सी. को निर्देशित किया गया ।

10. पंचायत राज

10.1 जिला मण्डला–

10.1.1 जिला पंचायत के अध्यक्ष का मानदेय एवं वाहन का भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है।

10.1.2 माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2017 का कुछ सचिवों का वेतन भुगतान हेतु लंबित है।
कार्यवाही– संचालक, पंचायतराज संचालनालय को समीक्षा कर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

10.2 जिला भिण्ड –

47 पंचायतों के लगभग 1.00 करोड़ रूपये के ईपीओ जो कि सेन्ट्रल बैंक से संबंधित है भुगतान हेतु लंबित है।

कार्यवाही– एन.आई.सी. के श्री दीपक व्यास को बैंकों से प्राप्त रिस्पोंस पोर्टल पर तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

10.3 जिला दमोह–

10.3.1 सचिवों का अप्रैल, मई एवं जून का वेतन भुगतान लंबित है तथा भुगतान हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।

10.3.2 डीआरडीए प्रशासन पद में वेतन हेतु आबंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

10.3.3 ग्राम पंचायत सचिव को मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि जारी किये जाने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।

कार्यवाही– संचालक, पंचायतराज संचालनालय को समीक्षा कर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

11. स्वच्छ भारत मिशन

11.1 जिन जिलों द्वारा पर्यावरण रथ चलाया गया था वे सभी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 01 सप्ताह में अपना प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें, इसके उपरांत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

11.2 अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिले, यथा छतरपुर, राजगढ़, टीकमगढ़, पन्ना, मुरैना, बड़वानी, उमरिया, धार, कटनी, सागर, बैतूल की समीक्षा में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा आश्वस्त कराया गया कि वे अपनी रणनीति में सुधार करके शौचालय निर्माण की प्रगति बढ़ाएंगे, जिससे जिला निर्धारित समय में ओडीएफ घोषित हो सके।

11.3 शौचालय निर्माण में संतोषप्रद जिलो, यथा रायसेन, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, रीवा, सीधी की समीक्षा पश्चात् अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र शेष बचे हुए कार्यो को पूर्ण कर ओडीएफ घोषित करने की कार्यवाही करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रायसेन द्वारा अवगत कराया गया कि उनका जिला 28 दिसम्बर को ओडीएफ घोषित किया जायेगा, उनके जिले में मात्र 48 शेष शौचालय विहीन आवास हैं जिनका कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा तथा शेष कार्य बीएलएस डाटा संशोधन का है।

11.4 अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने ऐसे जनपद में शौचालय निर्माण की प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया गया जिनमें अपेक्षित प्रगति नहीं है। आगामी सप्ताह में ऐसे न्यून प्रगति वाले जनपदों की भी समीक्षा होगी।

11.5 पन्ना जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अवगत कराया गया कि जिन हितग्राहियों का बैंक खाता गलत है उनमें सुधार का ऑप्शन जनपद लॉग इन में नहीं आ रहा है। उन्हें बताया गया कि एनआईसी में सिक्यूरिटी ऑडिट प्रगतिरत है जिससे यह ऑप्शन बंद है। एक सप्ताह उपरांत यह ऑप्शन पूर्वानुसार उपलब्ध हो जायेगा।

11.6 अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सिंगरौली सहित अत्यधिक कम प्रगति वाले जिले में राज्य स्तरीय अधिकारियों को भेजकर स्वच्छ भारत मिशन की कम प्रगति का विश्लेषण, इसके कारणों की पहचान कर इसके निदान के साथ–साथ आवश्यक रणनीति जिले को बताऐंगे।

शौर्य दल के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन

राज्य में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण करने व उन्हे आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक आंगनवाड़ी स्तर पर शौर्यदल का गठन किया गया है यह दल पंचायत स्तर पर समुदाय को, महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास, आवश्यक सहयोग तथा सहायता प्रदान करेगा। सामाजिक नियमों में सुधार लाने तथा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुये समता मूलक समाज निर्मित करना ही शौर्य दल के सदस्यों का लक्ष्य होगा ।

विकास और नेतृत्व की साझेदारी बदलाव की दिशा और गति के लिए बहुत आवश्यक है। समता आधारित बदलाव की पृष्ठभूमि महिला सशक्तीकरण और सामाजिक समरसता से होकर गुजरती है। तात्पर्य यह है कि विकास के लिए महिला पुरुष का एक साथ आना, विभिन्न मुद्दों पर साझेदारी के साथ काम करना, समता आधारित समाज और न्याय संगत विकास के लिए जरूरी है।

इसी दिशा में सामाजिक बदलाव की पहल लाने और जमीनी कार्यकर्ताओं की दैनिक व गंभीर मसलों पर सक्षमता निर्मित करने के लिए महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थाओं में शौर्यदल के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, 16 सत्रों में कुल **421** प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार

श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक

संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR